

(०५)

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्र./एफ— /१/सा.प्र.वि. /2020/10४२

भिलाई, दिनांक ३-१०-२०२०

//आदेश//

श्रीमती बी.रंगावली पति श्री वी.सारथी, पम्प सहायक की अधिवार्षिकी आयु दिनांक 10.10.2020 को 62 वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम 56 के अनुसार माह की अंतिम तिथि दिनांक 31.10.2020 को अपरान्ह से सेवानिवृत्त किया जाता है।

उपायुक्त
समान्य प्रशासन विभाग
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./एफ— /१/सा.प्र.वि. /2020/10४३

भिलाई, दिनांक ३-१०-२०२०

प्रतिलिपि :-

1. महापौर/अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. अधीक्षण अभियंता, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त ०२, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. महिला एवं बाल विकास विभाग नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
6. लेखाधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
7. अधीक्षक स्थापना, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
8. प्रभारी सहायक अधीक्षक भविष्य निधि शाखा, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
9. प्रोग्रामर डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं निगम की वेबसाईट में अपलोड हेतु।
10. प्रभारी स्थापना लिपिक, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. श्रीमती बी.रंगावली पति श्री वी.सारथी, पम्प सहायक नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।

उपायुक्त
समान्य प्रशासन विभाग
नगर पालिक निगम
भिलाई